न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

शुभम चौधरी **(I.A.S.)**
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2025	2025/116	05.03.2025	28.04.2026

1. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी मांगीलाल जाति मोग्या निवासी सेवरा तहसील व जिला प्रतापगढ़(राज0)।

—: अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. श्री जमनालाल पिता बाबरू जाति मोग्या निवासी सेवरा हाल मुकाम पारलिया तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
2. श्री जगदीश पिता बाबरू जाति मोग्या निवासी सेवरा हाल मुकाम पारलिया तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
3. श्रीमती उदीबाई पुत्री बाबरू जाति मोग्या निवासी सेवरा हाल मुकाम पारलिया तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
4. श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री बाबरू जाति मोग्या निवासी सेवरा हाल मुकाम पारलिया तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
5. श्री कंवरलाल पिता कालुराम जाति मोग्या निवासी सेवरा हाल मुकाम पारलिया तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
6. श्रीमती गणेशी पत्नी कालुराम जाति मोग्या निवासी सेवरा हाल मुकाम पारलिया तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
7. तहसीलदार प्रतापगढ़।

—: अप्रार्थी/विपक्षीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आंवटन अधिनियम राजस्थान राज्य आंवटन मिसल संख्या 1486/75 दिनांक 30.12.1975 को निरस्त करवाने के क्रम में।

उपस्थिति :—

1. अपीलार्थी अधिवक्ता श्री अरूण कुमार पाटीदार।
2. एकतरफा (अप्रार्थी/विपक्षीगण)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

—: आदेश :—

दिनांक 28.04.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सेवरा की साबिक आराजी संख्या 77/1 रकबा 6 बीघा भूमि जिसके वर्तमान आराजी संख्या 52 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि अप्रार्थी/विपक्षीगण के पिता बाबरू पिता नारायण मोग्या को जरिये मिशल संख्या 1486/1975 आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1975 के द्वारा आवंटित होने उपरान्त उक्त आवंटित भूमि रकबा जरिये नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 01.03.1976 के द्वारा आवंटी (श्री बाबरू) के नाम बतौर गैर—खातेदारी में दर्ज की गई थी। उक्त भूमियों से लगती हुई आवंटी की खातेदारी भूमियां साबिक आराजी संख्या 65/2 रकबा 10 बीघा एवं आराजी संख्या 83/7 रकबा 5 बीघा की रजिस्ट्री भूमि आवंटी द्वारा प्रार्थिया के पति मांगीलाल एवं उनके भाई हीरालाल पुत्र कनीराम मोग्या के पक्ष में करा दी गई। साथ ही आवंटीत भूमि आराजी संख्या 77/1 रकबा 6 बीघा भूमि का जरिये अपंजीकृत दस्तावेज पर दिनांक 1/10/1983 को बेचान इकरारनामा किया गया था व उन्हें कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तब से उक्त भूमि पर मांगीलाल के फोत होने पर और हीरालाल के लाऔलाद फौत होने के बाद सें प्रार्थिया पत्नि बेवा प्यारी बाई के कब्जे—काश्त में है। आवंटी के आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि के क्रेतागण मांगीलाल और हीरालाल द्वारा कई बार बाबरू से उक्त **भूमि का विधिवत् पंजीयन हेतु प्रयास किये गये किन्तु उक्त भूमि का विधिवत अन्तरण क्रेतागण के नाम नहीं** हो पाया था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण आवंटी बाबरू के वारीसान को सूचना पत्र जारी किये गये जिनके पंजीकृत डाक तामील पत्र एवं समाचार पत्र सूचना प्रकाशन तामील रिपोर्ट के उपरान्त भी कोई भी उपस्थित नहीं जिसके चलते अप्रार्थी/विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अन्तिम प्रार्थी अधिवक्ता सूनी गई।

दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया गया कि प्रकरण में विवादित आवंटित आराजी संख्या प्रार्थिया के पति द्वारा अप्रार्थी/विपक्षीगण के पिता आवंटी बाबरू मोग्या से उसकी खातेदारी अन्य आराजी के साथ ही खरीदी गई थी तथा उक्त समस्त भूमियों की कब्जा—काश्त भी अन्तरण किये जाने अनुसार प्रार्थिया का उक्त भूमि पर निर्विवादित कब्जा काश्त बरकरार है। किन्तु उक्त भूमि के विधिवत् पंजीकरण के अभाव में उक्त भूमि के संबंध में आवंटी के वारीसान अप्रार्थी/विपक्षीगण द्वारा विवाद किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन को निरस्त किया जाए ताकि प्रार्थिया के कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत् आवंटन/नियमन प्रार्थिया के पक्ष में कराया जा सके।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

बहस पर मनन किया गया तथा उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम सेवरा की आराजी संख्या 77/1 रकबा 6 बीघा भूमि अप्रार्थी/विपक्षी के पिता बाबरू पिता नारायण मोग्या को जरिये 486/1975 आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1975 के द्वारा आवंटित होने पश्चात् उक्त आवंटित भूमि रकबा जरिये नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 01.03.1976 के द्वारा आवंटी (श्री बाबरू) के नाम बतौर गैर–खातेदारी में दर्ज की गई थी। साथ ही उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज से यह भी संज्ञान में आया कि आवंटी बाबरू द्वारा उक्त आवंटीत भूमि का बेचान पंजीकृत एवं अपंजीकृत दस्तावेज दिनांक 01.10.1983 के द्वारा अपनी निजी खातेदारी भूमियों के साथ किया गया है, किन्तु उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी/विपक्षी के पिता बाबरू को आवंटित साबिक आराजी संख्या 77/1 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन आराजी संख्या 52 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि खसरा मिलान रिकार्ड भू–प्रबंध विभाग के अनुसार प्रमाणित होता है। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे है कि आवंटी द्वारा उनके पक्ष में इकरारनामा किया गया तब भूमि का अस्तित्व (Status) क्या था (गैर खातेदारी या खातेदारी) उक्त भूमियों की कब्जा काश्त प्रार्थिया एवं मौरूषी केता मांगीलाल व हीरालाल को अन्तरीत हुआ हो इस साक्ष्य का भी अभाव पाया गया इसके अतिरिक्त आवंटीत भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी/विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी के रूप में दर्ज होना जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 64 के द्वारा प्रमाणित होता है। अर्थात् आवंटी/अप्रार्थी/विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है, तभी उक्त भूमि अप्रार्थी/विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी/विपक्षीगण के नाम खातेदारी दर्ज होना एवं मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद होना प्रकरण में दर्शित नहीं किया गया है जिससे उक्त आवंटन को अवैध ठहराया जा सके तथा 1975 के दौरान किये गये आवंटन तथा 1983 के दौरान हुए अन्तरण के आधार पर आवंटन से लगभग 50 वर्षो बाद एवं अन्तरण दस्तावेज दिनांक 01.10.1983 से 42 वर्षो बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) अप्रार्थी/विपक्षीगण की खातेदारी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना किसी भी तरीके से सिद्ध योग्य नहीं है। यदि प्रार्थीया के पति से कोई राशि अवैध रूप से प्राप्त कर भूमि उनके पक्ष में अन्तरित नहीं की गई तो प्रार्थी इस संबंध में सिविल/फौजदारी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् सिरे से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़